

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

दिनांक 20.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 141 रेल अधिनियम के अंतर्गत 500/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।